डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: सम्बद्धन/ 575 /2025
दिनांक: 12/12/2025

सेवा में,

समस्त सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय:– विधान सभा तृतीय सत्र 2025 में निर्धारित मो0 फहीम इरफान (बिलारी) मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न का उत्तरालेख कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 763/62–3–2025/02(ए0क्यू)/2025 दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अतारांकित डायरी संख्या–18/12/1373 में पूछे गये प्रश्न का उत्तरालेख कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

अतः उक्त पत्र के कम में अवगत कराना सुनिश्चित करें, कि महाविद्यालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार नोड़ल अधिकारियों की तैनाती एवं दिव्यांगजनों हितार्थ रैंप व प्रसाधन गृह आदि सुविधाओं की सुस्पष्ट आख्या आज ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सचनार्थ प्रेषित।
2. शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधिकृत एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि सूचना महाविद्यालय की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

अतारांकित प्रश्न डायरी संख्या 18/12/1373/ई – मेल/तत्काल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- डिग्री विकास 2461 2025–26 दिनांक – 11 / 12 /2025

विषय – विधानसभा के तृतीय सत्र 2025 में निर्धारित मो0 फहीम इरफान (बिलारी) मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न का उत्तरालेख्य उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 763/65 – 3 – 2025 02(एल0क्यू0)/2025 दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अतारांकित डायरी संख्या 18/12/1373 में पूछे गये प्रश्न का उत्तरालेख्य उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के संबंध में शासन द्वारा प्रेषित अतारांकित प्रश्न का विवरण निम्नवत् है –

क्रम संख्या	अतारांकित प्रश्न	उत्तरालेख्य
1.	क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है?	
2.	यदि नहीं, तो क्यों?	
3.	दिव्यांगजनों के हितार्थ रैम्प व प्रसाधन गृह आदि का निर्माण कराना सरकार सुनिश्चित करेगी?	
4.	यदि नहीं तो क्यों ?	

उक्त प्रश्न का उत्तरालेख्य समस्त अनुपूरक सामग्री सहित इस कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर ही कल दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे शासन को समयान्तर्गत सूचना/आख्या प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

डॉ0 (अजीत कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 2461–62 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित –

डॉ0 (अजीत कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

763/CS-5-2015

उत्तर प्रदेश विधान सभा
18th Legislative Assembly
Third Session -2025

अतारांकित प्रश्न

प्राप्ति तिथि
13/09/2025

अतारांकित डायरी न० :
18/22/1373

प्रश्न प्रेषण तिथि
01/12/2025

विभाग को भेजा गया
01/12/2025

विषय	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक
सदस्य	Mohd. Faheem Irfan(Bilari)
विभाग	Divyangjan Empowerment

विभाग - Backward Class Welfare, Divyangjan Empowerment .

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न शिक्षा संस्थानों में नोडल अधिकारियों की तैनाती एवं दिव्यांगजनों के हितार्थ रैंप व प्रसाधन गृह आदि का निर्माण कराना सरकार सुनिश्चित करे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (1)

This is an electronically generated PDF, it does not require a signature

पत्रावली
U.S
उप सचिव
(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव
दिव्यांगजन सशक्तीकरण
उत्तर प्रदेश शासन

विचारार्थ प्रस्तुत
S.O.
(संतोष कुमार)
अनुसचिव
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

02.12.25